Ref:..... Date:.....

कार्यालय आदेश

गृह विभाग, (विशेष शाखा) बिहार सरकार के पत्रांक जी/आपदा–06–02/2020 (वि.स. को.)–34/पटना, दिनांक 3–04–2021 एवं शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक– मा0 शि0–स्था0 'ख' –171/2016/793 दिनांक 04–04–2021 में दिये गये निर्देश के आलोक में तथा राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दिनांक 11–04–2021 तक विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं विश्वविद्यालय से संबंद्ध सभी शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक कार्य स्थगित रहेंगे। परन्तु प्रशासनिक एवं परीक्षा से संबंधित कार्य कोविड–19 दिशा–निर्देश के अनुपालन के साथ संपादित होंगे। सभी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी पूर्ववत् अपने–अपने कार्यालय में निर्धारित समय तक उपस्थित रहकर अपने–अपने कार्यों का सम्पादन करेंगे। परीक्षा संचालन के दौरान सभी परीक्षार्थी, वीक्षक एवं केंद्र पर उपस्थित सभी कर्मी कोविड–19 के दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

किसी भी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी या परीक्षार्थी में कोविड–19 के संक्रमण से उत्पन्न होने वाले लक्षण के पाये जाने पर तत्काल चिकित्सकीय सलाह एवं सुविधा की व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वविद्यालय परिसर में सामान्य आगन्तुकों का प्रवेश वर्जित होगा तथा बिना मास्क एवं पहचान पत्र के किसी को भी किसी भी स्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार

ह0/–
(कर्नल कामेश कुमार)
कुलसचिव

ज्ञापांक :– F-1274/2020 RE----170----/2021 दिनांक :– 05/04/2021

प्रतिलिपिः–

प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार/निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार/कुलपति कोषांग/ प्रतिकुलपति कार्यालय/ वित्तीय सलाहकार कार्यालय/कुलसचिव कार्यालय/परीक्षा नियंत्रक/ वित्त पदाधिकारी/विकास पदाधिकारी/सहायक कुलसचिव (सामान्य शाखा/परीक्षा शाखा) निदेशक/सचिव, सभी ज्ञान संसाधन केंद्र एवं मदरसा/विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालय के प्राचार्य/ विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष एवं सभी सहायक आचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

05/04/21
कुलसचिव